संख्या-2/2016- 41/21-उर्दू-1-2016(311/2014)

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी,

विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी,2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में उर्दू आई0ए0एस0 स्टडी सेण्टर के संचालनार्थ आयोजनेत्तर पक्ष से द्वितीय किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आयोजनेत्तर पक्ष से द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन रू0 75,00,000/- मात्र (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल नयी/अनुमोदित मदों/योजनाओं पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों/कार्यक्रमों पर व्यय न किया जाये तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एक मुश्त नहीं आहरित की जायेगी बल्कि कार्य की सीमा तक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल अनु सचिव,(भाषा) भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2016 तथा अन्य स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

.....2-

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-39 के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर- 80 - सामान्य-800-अन्य व्यय-03-उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य स्तरीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग हेतु उ0प्र0 उर्दू अकादमी को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7 के आदेश संख्या ई-7-32(1)/दस-2016 दिनांक 01/02/16 के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव

संख्या-2/2016-41(1)/21-उर्दू-1-2016(311/2014 टी0सी0)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को इस आशय से कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथा समय भेजने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4

8- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in